उत्तर प्रदेश शासन
ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग-2
संख्या- 08 /2021/ 1900 /92-2-21-64एम/2019
लखनऊ:: दिनांक:: 04 फरवरी, 2021

कार्यालय ज्ञाप

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-बलरामपुर में कार्यरत रहने के दौरान जनपद-बलरामपुर के विकास खण्ड-तुलसीपुर के ग्राम पंचायत गनेशपुर में बार्डर एरिया डेवलेपमेन्ट योजनान्तर्गत सी0सी0 रोड, विकास खण्ड-तुलसीपुर के ग्राम पंचायत होमपुर में बार्डर एरिया डेवलेपमेन्ट योजनान्तर्गत सी०सी० रोड के निर्माण में कार्यों को पूर्व में मानक के अनुरूप न कराये जाने हेतु प्रथमदृष्टया दोषी पाये जाने पर कार्यालय ज्ञाप संख्या-101/2020/1477/92-2-2020-64एम/2019 दिनांक 07 सितम्बर, 2020 द्वारा श्री अनिल कुमार सक्सेना, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड बलरामपुर के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जॉच के सम्पादनार्थ मुख्य अभियन्ता (पश्चिमी क्षेत्र), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया ।

2- जॉच अधिकारी/मुख्य अभियन्ता (पश्चिमी क्षेत्र), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-1866/ग्रा0अ0वि0/अनु0जांच-बलरामपुर/2020-21 दि0 14-12-2020 द्वारा जांच आख्या उपलब्ध करायी गयी, जिसमें अपचारी अधिकारी श्री सक्सेना पर अधिरोपित कुल 02 आरोपों में से कोई भी आरोप स्थापित नहीं पाया गया ।

उल्लेखनीय है कि मुख्य प्राविधिक परीक्षक, तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ के पत्रांक-जी-33/पी0ए0-सी0टी0ई0/2904-176/04/2010-21 दिनांक 29-07-2020 द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में उपलब्ध करायी गयी टी0ए0सी जांच आख्या में परिलक्षित शासकीय क्षति के सापेक्ष अपचारी अधिकारी श्री सक्सेना द्वारा अपने अंश की शासकीय क्षति क्रमशः रू0-1,992.00 एवं रू0-983.00 (जिसके लिये अपचारी अधिकारी को आरोपित किया गया था) चालान संख्या-एल 311606 दिनांक 03-12-2020 के माध्यम से राजकीय कोष में जमा करा दिया गया है ।

3- अतः अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर, जांच अधिकारी की जांच आख्या व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त अपचारी अधिकारी श्री अनिल कुमार सक्सेना, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड बलरामपुर के विरूद्व शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-101/2020/1477/92-2-2020-64एम/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2019 दिनांक 07 सितम्बर, 2020 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को बिना किसी दण्ड के समाप्त् किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

श्री राज्यपाल के आदेश से

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

संख्या- /2021/ /92-2-21 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।

2- श्री अनिल कुमार सक्सेना, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड बलरामपुर द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।

3- ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(रमाकान्त शुक्ल)
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।